भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1232
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कस्बों को पक्की सड़कों से जोड़ना

1232. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने का विचार है;

(ख) इन सड़कों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है और नई सड़कों का निर्माण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की गई सड़कों का रख-रखाव लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है , जिसके परिणामस्वरूप सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित की गई सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का गांवों में स्थित छोटी आबादी वाले कस्बों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो संबंधित नियमों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): राजस्थान राज्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-I और II के अंतर्गत सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया है। राज्य को पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 8,662.5 किमी लंबाई का लक्ष्य आबंटित किया गया है जिसमें से 8,600 किमी लंबाई स्वीकृत की जा चुकी है। पीएमजीएसवाई- III के तहत सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 है।

मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडे नहीं रखता है। राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले बाड़मेर और जैसलमेर आते हैं। दिनांक 25.07.2024 की

स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई के सभी घटकों के तहत बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्वीकृत, पूर्ण किए गए सड़क कार्य और शेष कार्य निम्नानुसार हैं:

जिले का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष कार्य*		
	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
बाड़मेर	776	3,845	3	776	3,707	3	0	0	0
जैसलमेर	301	2,245	0	300	2,197	0	1	3	0
कुल	**1,077**	**6,090**	**3**	**1,076**	**5,904**	**3**	**1**	**3**	**0**

* वक्र लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई के निर्माण आदि के कारण शेष सड़क की लंबाई स्वीकृत और पूर्ण सड़क लंबाई के अंतर से कम है।

(ग) और (घ): पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए एकबारगी सहायता कार्यक्रम है; इसके अंतर्गत सड़कों की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सभी सड़क कार्य मानक बोली दस्तावेज के अनुसार निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार के साथ किए जाने वाले निर्माण के ठेके सहित शुरुआती पंचवर्षीय रखरखाव ठेकों में शामिल होते हैं।

(ii) इस ठेके की पूर्ति के लिए रखरखाव निधियों का बजट प्रावधान राज्य सरकारों को करना होता है और यह प्रावधान राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) को पृथक रखरखाव खाते में सौंप दिया जाता है। निर्माणोपरांत पंचवर्षीय रखरखाव की यह अवधि समाप्त होने पर पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीकरण सहित पंचवर्षीय रखरखाव के आंचलिक रखरखाव ठेकों में शामिल किया जाना होता है और इन ठेकों का वित्तपोषण भी राज्य सरकारें करती हैं।

(iii) राज्यों को योजना शुरू करने से पहले पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित/अद्यतनकी गई सड़कों के रखरखाव के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभिक पांच वर्षों के नियमित रखरखाव हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने के लिए और आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण सहित पांच वर्ष के नियमित रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान होती है।

(iv) पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा केन्द्र सरकार को निधि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय रखरखाव निधियां जारी करने को प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है।

(v) पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग) , के लिए एक ऑनलाइन मंच, सड़क निर्माण पूरा होने की दिनांक से पांच वर्षों (यानी दोष दायित्व अवधि-डीएलपी के तहत) के लिए पीएमजीएसवाई कार्यों के रखरखाव की निगरानी के लिए सभी राज्यों में लागू किया गया है।

(ङ) और (च): सरकार ने घोषणा की है कि पीएमजीएसवाई का चरण- IV उन 25,000 ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया जाएगा जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र बन गई है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

*****